भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5005
(01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

बेयरफुट तकनीशियन

5005. श्री जी. कुमार नायक:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय नियोजित बेयरफुट तकनीशियनों (बीएफटी) की राज्यवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार की बीएफटी को 2,000 रुपए के वर्तमान यात्रा भत्ते में संशोधन करने की कोई योजना है क्योंकि उन्हें अपने वाहनों का उपयोग करना पड़ता है और वे पंचायतों के आकार और संख्या के आधार पर प्रायः 20-30 किमी से 60-100 किमी तक की यात्रा करते हैं;

(ग) क्या सरकार का बीएफटी के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज और उनके आश्रितों के लिए मृत्यु क्षतिपूर्ति के प्रावधान पर विचार है, विशेषकर जब वे लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हों;

(घ) क्या सरकार बीएफटी को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) और भविष्य निधि (पीएफ) के सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) क्या सरकार की बीएफटी को नौकरी की अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 11 महीने की अनुबंध नवीकरण आवश्यकता को हटाने या बीएफटी के लिए अनुबंध अवधि बढ़ाने की कोई योजना है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): बेयरफुट टेक्नीशियन (बीएफटी) परियोजना वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी और इसे देश के 20 राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। 'बेयरफुट

टेक्नीशियन' स्थानीय महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों या उनके मेटों/पर्यवेक्षकों में से चिन्हित किए जाने वाले शिक्षित व्यक्ति होते हैं , तथा उन्हें विशेष रूप से एक अनुकूलित प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग करके सिविल इंजीनियरिंग कार्यों के संबंध में प्रशिक्षित किया जाता है , ताकि वे कार्यों की पहचान और आकलन करने , क्षेत्र में कार्यों के लिए मार्क-आउट देने और महात्मा गांधी नरेगा योजना की पैमाइश-पुस्तिका में किए गए कार्यों के माप को रिकॉर्ड करने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त कर सकें। वर्तमान में तैनात बेयरफुट टेक्नीशियन का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख): बेयरफुट टेक्नीशियन (बीएफटी) की तैनाती संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है। बीएफटी की तैनाती के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार जिम्मेदार होती है , जिसमें नियुक्ति की शर्तों और सेवा शर्तों को स्पष्ट रूप से बताया गया हो।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा योजना), 2005 की अनुसूची II के पैरा 18 और 20 में यह परिकल्पना की गई है कि जहां तक संभव हो, आवेदक के रोजगार के लिए आवेदन के समय निवास स्थान वाले गांव के पांच किलोमीटर की परिधि में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और यदि रोजगार उक्त परिधि के बाहर उपलब्ध कराया जाता है , तो श्रमिकों को अतिरिक्त परिवहन और जीवन-यापन के खर्चों को पूरा करने के लिए मजदूरी दर का दस प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी के रूप में भुगतान किया जाएगा।

उक्त योजना के लिए जनशक्ति की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है , इस संबंध में केंद्र सरकार कानून के अनुसार प्रशासनिक व्यय वहन करने के लिए निधियों के आवंटन के माध्यम से राज्य सरकार की सहायता करती है।

(ग) और (घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 (महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005) की अनुसूची-II के पैरा 27 में यह परिकल्पना की गई है कि "यदि योजना के तहत रोजगार प्राप्त किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या रोजगार के दौरान दुर्घटना के कारण वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है , तो उसे या उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को, जैसा भी मामला हो, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा आम आदमी बीमा योजना के तहत पात्रता के अनुसार या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अनुसार अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा"।

चूंकि महात्मा गांधी नरेगा योजना एक नियमित/संविदा आधारित रोजगार नहीं है , बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका का एक विकल्प है , जब कोई बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत काम करने वाले श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है। हालांकि , महात्मा गांधी नरेगा योजना श्रमिक किसी भी पेंशन , भविष्य निधि या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही किसी अन्य योजना का लाभ उठा सकते हैं , बशर्ते वे उन योजनाओं के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आते हों।

(ङ.): राज्य सरकार बेयरफुट टेक्नीशियन के लिए कार्यकाल और पारिश्रमिक आदि का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि वह उचित समझे।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 01.04.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 5005 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में तैनात बीएफटी का राज्य-वार ब्यौरा 26.03.25 की स्थिति के अनुसार		
क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**तैनात बीएफटी की संख्या**
1	आंध्र प्रदेश	635
2	अरुणाचल प्रदेश	68
3	बिहार	966
4	छत्तीसगढ़	494
5	गुजरात	118
6	हरियाणा	54
7	झारखंड	600
8	कर्नाटक	1587
9	केरल	143
10	मणिपुर	72
11	मेघालय	245
12	मिजोरम	100
13	ओडिशा	562
14	पंजाब	67
15	राजस्थान	476
16	सिक्किम	62
17	तेलंगाना	215
18	उत्तराखंड	577
19	पश्चिम बंगाल	673
कुल		**7,714**

टिप्पणी: मध्य प्रदेश राज्य में सभी बीएफटी को सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई के अंतर्गत लगाया गया है। अतः केवल 19 राज्यों के आंकड़े दिये गए हैं।